न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा (राज0)
पीठासीन अधिकारी, अश्विन के पंवार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 24/2020 दायर दिनांक–21.08.2020
निर्णय दिनांकः– 25-04-2022

श्री मंगला उर्फ बदा केवला मीणा उम्र बालिंग पेशा काश्त नि0 बोर का पानी तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

बनाम

1– श्री लालशंकर पुत्र धना घाटिया उम्र 70 वर्ष नि0 बोर का पानी तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

2– श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय बिछीवाडा जिला डूंगरपुर(राज)

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 212 राटीए आदेश 39 नियम 1–2 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दीवानी

1– श्री अब्दुल सलाम गोरी एवं धमेन्द्र सागर – वादी
2– श्री कृष्णराज सिंह –प्रतिवादी

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से एक वाद बाबत इन्द्राज दुरस्ती, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने बाबत प्रस्तुत किया है जो वाद ठोस कानूनी आधार बिन्दुओं पर आधारित होकर उसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। यह कि प्रार्थी गांव बोरकापानी का रहने वाला होकर अनुसूचित जनजाति का सदस्य होकर कृषक है। वादी को गांव में लोग बदा एवं मंगला दोनो नाम से जानते है बदा पुत्र केवला एवं मंगला पुत्र केवला के नाम से वादी ही एक मात्र व्यक्ति है। प्रार्थी को करीब 50 वर्ष पूर्व मौजा बोर का पानी में दो बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ था जिसका खसरा नं0 630/83 है तथा वर्तमान खाता संख्या 77 एवं पुराना खाता संख्या 75 है। उक्त भूमि आवंटन के पश्चात से प्रार्थी एवं उसके पुत्रादी ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं वर्तमान में भी प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। उक्त आराजी नं0 630/83 पर वादी के पुत्र ईश्वर का कच्चा मकान भी करीब 15 वर्ष पूर्व का बना हुआ है जिससें वादी व उसके पुत्र ईश्वर व परिवार निवास करता आ रहा है।

अप्रार्थी संख्या 01 पूर्व विधायक एवं पंचायत समिति बिछीवाडा का पूर्व प्रधान है प्रतिवादी संख्या 1 ने अर्सा 8–10 वर्ष अपने विधायक रहने के दौरान वादी की उक्त वर्णित आराजी न0 630/83 में से पक्का सी.सी. सडक बनाया जो प्रार्थी संख्या 01 के मकान तक जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा सी0सी0 रोड वादी की आराजी संख्या 630/83 के बीचो बिच से बनाया गया है एवं रोड के दुसरी तरफ वादी के खाते की भूमि का आधा हिस्सा करीब एक बीघा से अधिक भूमि पर प्रतिवादी ने अवैध कब्जा करने की गर्ज से थुअर की बाढ लगा दी है। प्रतिवादी पूर्व विधायक एवं प्रधान रहा है तथा अपने प्रभाव के बल पर वादी की भूमि जबरान छीन लेना चाहता है। प्रार्थी एवं उसके पुत्रों द्वारा विरोध करने पर विपक्षी कहता है कि यह जमीन तुम्हारे खाते की नही है उक्त जमीन मंगला पिता केवला मीणा के खाते की है। जबकी मंगला पिता केवला एवं बदा पिता केवला एक ही व्यक्ति है तथ प्रार्थी को ही बदा उर्फ मंगला के नाम से जाना जाता है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी की और से वकील श्री कृष्णराजसिंह का वकालात नामा पेश हुआ जो मूल शामिल पत्रावली है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अनुसरण में बिन्दुवार जवाब दिनांक 22.10.2020 को प्रस्तुत किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी गई। प्रतिवादी संख्या 02 को दिनांक 22.10.2020, 11.2.2021 को पत्र जारी कर मौजा बोरकापानी के खाता संख्या 77 पुराना 75 के खसरा नं0 630/83 रकबा 2.10 बीघा किस्म सुखी III का वाद विचाराधिन होने से मौके की जांच रिपोर्ट चाही गई है।

तहसीलदार, बिछीवाडा के पत्र क्रमांक 589 दिनांक 08.6.2021 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मोजा बोरकापानी के खाता संख्या 77 पुराना 75 के खसरा नं0 630/83 रकबा 2.10 बीघा किस्म सुखी III में निम्नानुसार स्थिति बताई गई है:–

1– राप्रावि कदवालियाफला 10 बिस्वा
2– रास्ते सीसी सडक/कच्चा रास्ता 07 बिस्वा

संख्या 02 को दिनांक 22.10.2020, 11.2.2021 को पत्र जारी कर मौजा बोरकापानी के खाता संख्या 77 पुराना 75 के खसरा नं0 630/83 रकबा 2.10 बीघा किस्म सुखी III का वाद विचाराधिन होने से मौके की जांच रिपोर्ट चाही गई है।

तहसीलदार, बिछीवाडा के पत्र क्रमांक 589 दिनांक 08.6.2021 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मोजा बोरकापानी के खाता संख्या 77 पुराना 75 के खसरा नं0 630/83 रकबा 2.10 बीघा किस्म सुखी III में निम्नानुसार स्थिति बताई गई है:–

1– राप्रावि कदवालियाफला 10 बिस्वा
2– रास्ते सीसी सडक/कच्चा रास्ता 07 बिस्वा
3– परकोटा लालशंकर घाटिया का 04 बिस्वा
4– पडत मगरी 29 बिस्वा

तथा मौके पर किसी प्रकार की खेती नही होना भी दर्शाया गया है। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसरण में उभय पक्ष के वकीलो की बहस सुनी गई तथा हमारे द्वारा मूल वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 136 आरटीए एवं प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी/प्रतिवादी वकील की ओर से प्रस्तुत जवाब का गहनता से अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में मिनी बैंक लेम्प्स चुण्डावाडा की छाया प्रति, पंचायत की तस्दीक दिनांक 08.6.2020, ग्राम पंचायत तलैया के सरपंच लीलादेवी गमेती की तस्दीक, भेमचन्द पिता मंगला घाटिया की तस्दीक, एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बिछीवाडा में प्रथम सूचना नं0 93/2021 दिनांक 25.12.2021 अदम वकुवा (तथ्य की भूल) धारा 420 भादस. बसिलसिले प्रकरण संख्या 218/2021 धारा 420 भादस. श्रीमति शांता पुत्री मंगला घाटिया नि0 बोर का पानी हॉल पालीसोडा में भी बाद अनुसंधान विस्तृत रिपोर्ट के अन्तिम पैराज में यह अंकित किया गया/पाया गया है कि खसरा नं0 630/83 रकबा 02.10 बीघा जो ग्राम बोर का पानी में स्थित होकर पटवार हल्का तलैया है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर कब्जा बदा उर्फ मंगला पिता केवला का है तथा उक्त जमीन पर ईश्वर तथा मोतीलाल के मकान बने हुए है। उक्त खसरा नं0 के आस–पास भी बदा उर्फ मंगला का भाई हकरा की जमीन होकर इसी खसरा नं0 की है। भूमि के आस–पास घाटिया परिवार की कोई जमीन आवंटित नही है। सभी जमीन अहारी परिवार की है। विस्तृत रिपोर्ट वकील वादी द्वारा प्रस्तुत की है हो पत्रावली (प्रतिलिपि) में है।.

अप्रार्थी वकील द्वारा अपने जवाब में यह भी कहा गया है कि वर्ष 1972 में आवंटन हुआ था तब प्रार्थी की आयु 17 वर्ष होना अंकित किया गया है। उक्त आवंटन निरस्त कराने हेतु तत्तसमय ही श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14(4) में वाद प्रस्तुत कर दाद प्राप्त करनी थी तथा अपने जवाब में श्री मंगला पिता सेगा को आवंटन होना जवाब में बताया गया है किन्तु इस संबंध में कोई ठोस दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नही किये गये है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं बहस के दौरान बताई गई बातो को तथा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा बोर का पानी के खसरा नं0 630/83 में राप्रावि कदवालिया फला 10 बिस्वा, सीसी व कच्चा रास्ता 07 बिस्वा लालशंकर पिता धना घाटिया 04 बिस्वा एवं पडत मगरी 29 बिस्वा योग 02 बीघा 10 बिस्वा है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के तथा थानाधिकारी पुलिस थाना बिछीवाडा में दर्ज प्रकरण संख्या 218/2021 में बाद अनुसंधान आये तथ्यों के आधार पर मंगला एवं बदा दोनो एक ही व्यक्ति है।

हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र का गहनता से अवलोकन करने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा बोर का पानी के खता नं0 77 व 75 के खसरा नं0 630/83 रकबा दो बीघा दस बिस्वा भूमि पर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी के स्वामित्व, अधिकार कब्जे की भूमि पर फसल बोने, काटने खेती करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे तथा न ही किसी प्रकार का अवैध निर्माण करे एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे।

निर्णय आज दिनांक 25-04 .2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पत्रावली फेसल में शुमार किया जाकर नम्बर से कम किया जाता है।

(अश्विन के पंवार)
उपखण्ड अधिकारी,
बिछीवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा (राज0)
पीठासीन अधिकारी, अश्विन के पंवार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 19/2020 दायर दिनांक–21.08.2020

निर्णय दिनांकः– 25-04-2022

श्री मंगला उर्फ बदा केवला मीणा उम्र बालिंग पेशा काश्त नि0 बोर का पानी तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

बनाम

1– श्री लालशंकर पुत्र धना घाटिया उम्र 70 वर्ष नि0 बोर का पानी तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

2– श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय बिछीवाडा जिला डूंगरपुर(राज)

दावा बाबत इन्द्राज दुरस्ती एवं चालू राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने बाबत। अन्तर्गत धारा 88, 188 राटीए एवं धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम

1– श्री अब्दुल सलाम गोरी एवं धमेन्द्र सागर – वादी

2– श्री कृष्णराज सिंह –प्रतिवादी

:: निर्णय ::

वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी राजस्व गांव बोर का पानी का रहने वाला होकर अनुसूचित जनजाति का सदस्य होकर कृषक है। वादी को गावं में लोग बदा एवं मंगला दोनो नामो से जानते है। बदा पुत्र केवला एवं मंगला पुत्र केवला के नाम से वादी ही एक मात्र व्यक्ति है। वादी को करीब 50 वर्ष पर्वू बोर का पानी में दो बीधा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ था जिसका खसरा नं0 630/83 है तथा वर्तमान खाता संख्या 77 एवं पुराना 75 है। उक्त भूमि आवंटन के पश्चात से वादी एवं उसके पुत्रादी ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं वर्तमान में भी वादी का ही कब्जा काश्त है। उक्त आरानी नं0 630/83 पर वादी के पुत्र ईश्वर का कच्चा मकान भी करीब 15 वर्ष पूर्व का बना हुआ है जिसमें वादी व उसके पुत्र ईश्वर व परिवार निवास करता आ रहा है। यह की प्रतिवादी सं0 01 पूर्व विधायक एवं पंचायत समिति बिछीवाडा का पूर्व प्रधान है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अर्सा 8–10 वर्ष पूर्व अपने विधायक रहने के दौरान वादी की उक्त वर्णित आराजी नं0 630/83 मे से पक्का सीसी रोड बनाया जो प्रतिवादी संख्या 01 के मकान तक जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा सी0सी0 रोड वादी की आराजी संख्या 630/83 के बीचो बिच से बनाया गया है एवं रोड के दुसरी तरफ वादी के खाते की भूमि का आधा हिस्सा करीब एक बीघा से अधिक भूमि पर प्रतिवादी ने अवैध कब्जा करने की गर्ज से थुअर की बाढ लगा दी है। प्रतिवादी पूर्व विधायक एवं प्रधान रहा है तथा अपने प्रभाव के बल पर वादी की भूमि जबरान छीन लेना चाहता है। प्रार्थी एवं उसके पुत्रों द्वारा विरोध करने पर विपक्षी कहता है कि यह जमीन तुम्हारे खाते की नही है उक्त जमीन मंगला पिता केवला मीणा के खाते की है। जबकी मंगला पिता केवला एवं बदा पिता केवला एक ही व्यक्ति है तथ प्रार्थी को ही बदा उर्फ मंगला के नाम से जाना जाता है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी की और से वकील श्री कृष्णराजसिंह का वकालात नामा पेश हुआ जो पत्रावली में शामिल पत्रावली है। वकील प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र के अनुसरण में बिन्दुवार जवाब मय प्रतिदावा के दिनांक 22.10.2020 को प्रस्तुत किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी गई। वकील वादी द्वारा प्रतिदावा का जवाब बिन्दुवार प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति भी वकील प्रतिवादी को दी गई। प्रकरण में तनकीयात भी कायम की जाकर सरेईजलास की गई है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 को दिनांक 22.10.2020, 11.2.2021 को पत्र जारी कर मौजा बोरकापानी के खाता संख्या 77 पुराना 75 के खसरा नं0 630/83 रकबा 2.10 बीघा किस्म सुखी III का वाद विचाराधिन होने से मौके की जांच रिपोर्ट चाही गई है।

तहसीलदार, बिछीवाडा के पत्र क्रमांक 589 दिनांक 08.6.2021 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मोजा बोरकापानी के खाता संख्या 77 पुराना 75 के खसरा नं0 630/83 रकबा 2.10 बीघा किस्म सुखी III में निम्नानुसार स्थिति बताई गई है:–

1– राप्रावि कदवालियाफला 10 बिस्वा

2– रास्ते सीसी सडक/कच्चा रास्ता 07 बिस्वा

3– परकोटा लालशंकर घाटिया का 04 बिस्वा

4– पडत मगरी 29 बिस्वा

तथा मौके पर किसी प्रकार की खेती नही होना भी दर्शाया गया है। प्रस्तुत रिपोर्ट एवं वाद का जवाब मय प्रतिदावा जवाब के अनुसरण में उभय पक्ष के वकीलो की बहस सुनी गई एवं वाद पत्र तथा प्रतिवादी वकील की ओर से प्रस्तुत जवाब/प्रतिदावा एवं प्रतिदावा जवाब का गहनता से अवलोकन किया गया वाद पत्र प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में मिनी बैंक लेम्प्स चुण्डावाडा की

छाया प्रति, पंचायत की तस्दीक दिनांक 08.6.2020, ग्राम पंचायत तलैया के सरपंच लीलादेवी गमेती की तस्दीक, भेमचन्द पिता मंगला घाटिया की तस्दीक, एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बिछीवाडा में प्रथम सूचना नं0 93/2021 दिनांक 25.12.2021 अदम वकुवा (तथ्य की भूल) धारा 420 भादस. बसिलसिले प्रकरण संख्या 218/2021 धारा 420 भादस. श्रीमति शांता पुत्री मंगला घाटिया नि0 बोर का पानी हॉल पालीसोडा में भी बाद अनुसंधान विस्तृत रिपोर्ट के अन्तिम पैराज में यह अंकित किया गया/पाया गया है कि खसरा नं0 630/83 रकबा 02.10 बीघा जो ग्राम बोर का पानी में स्थित होकर पटवार हल्का तलैया है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर कब्जा बदा उर्फ मंगला पिता केवला का है तथा उक्त जमीन पर ईश्वर तथा मोतीलाल के मकान बने हुए है। उक्त खसरा नं0 के आस-पास भी बदा उर्फ मंगला का भाई हकरा की जमीन होकर इसी खसरा नं0 की है। भूमि के आस-पास घाटिया परिवार की कोई जमीन आवंटित नही है। सभी जमीन अहारी परिवार की है। विस्तृत रिपोर्ट वकील वादी द्वारा प्रस्तुत की है हो पत्रावली (प्रतिलिपि) में है। .

प्रतिवादी वकील द्वारा अपने जवाब में यह भी कहा गया है कि वादी द्वारा अपनी वास्तविक पहचान को छिपाया जा रहा है। वादी बदा पुत्र केवला है उसका एक ही नाम है मंगला पुत्र केवला वादी का नाम नही है। वर्ष 1972 में आवंटन हुआ था तब प्रार्थी की आयु 17 वर्ष थी नाबालिग अवस्था में आवंटन होना कानुनन संभव नही है। विस्तृत जवाब प्रस्तुत करते हुए अन्त में निवेदन किया है कि वादी द्वारा कपटपूर्ण आशय से झेठे बनावटी एवं मनगढंत तथ्यो के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है। साथ प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया है। प्रतिदावा का जवाब भी पत्रावली पर है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं बहस के दौरान बताई गई बातो को तथा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा बोर का पानी के खसरा नं0 630/83 में राप्रावि कदवालिया फला 10 बिस्वा, सीसी व कच्चा रास्ता 07 बिस्वा लालशंकर पिता धना धाटिया 04 बिस्वा एवं पडत मगरी 29 बिस्वा योग 02 बीघा 10 बिस्वा है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के तथा थानाधिकारी पुलिस थाना बिछीवाडा में दर्ज प्रकरण संख्या 218/2021 में बाद अनुसंधान आये तथ्यों के आधार पर मंगला एवं बदा दोनो एक ही व्यक्ति है।

हमारे द्वारा वाद पत्र/जवाब दावा, प्रतिदावा/प्रतिदावा जवाब एवं तहसीलदार बिछीवाडा से प्राप्त रिपोर्ट एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बिछीवाडा में दर्ज प्रथम सूचना नं0 93/2021 दिनांक 25.12.2021 अदम वकुवा (तथ्य की भूल) धारा 420 भादस. बसिलसिले प्रकरण संख्या 218/2021 धारा 420 भादस. श्रीमति शांता पुत्री मंगला घाटिया नि0 बोर का पानी हॉल पालीसोडा में अदम वकुवा रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। अवलोकन एवं प्रार्थना पत्र में की गई बहस के पश्चात वादी मूल वाद में भी वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्ती कर वादी का नाम मंगला उर्फ बदा पुत्र केवला संशोधित करने की दाद चाही गई है। वादी द्वारा चाही गई दाद का निवारण तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बिछीवाडा में दर्ज प्रकरण संख्या 218/2021 में बाद अनुसंधान आये तथ्यो के आधार पर ही हो जाता है। तथा आवंटन निरस्त कराने हेतु तत्तसमय ही श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14(4) में वाद प्रस्तुत कर दाद प्राप्त करनी थी तथा अपने जवाब में श्री मंगला पिता सेगा को आवंटन होना जवाब में बताया गया है किन्तु इस संबंध में कोई ठोस दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नही किये गये है। पत्रावली पर उलब्ध साक्ष्य एवं प्राप्त रिपोर्ट/जवाब/प्रतिदावा जवाब के अवलोकन से वाद को आगे चलाने की आवश्यकता/औचित्यता नही रहती है।

प्रकरण में आदेश दिया जाता है कि मौजा बोर का पानी के खाता नं0 77 व 75 के राजस्व रिकार्ड में मंगला पिता केवला के स्थान पर मंगला उर्फ बदा पिता केवला मीणा निवासी बोर का पानी अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पत्रावली फेसल में शुमार किया जाकर नम्बर से कम किया जाता है।

Ashf

(अश्विन के पंवार)
उपखण्ड अधिकारी,
बिछीवाडा